रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 4—जून 10, 2016 (ज्येष्ठ 14, 1938)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 4—JUNE 10, 2016 (JYAISTHA 14, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	597
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	473
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1383
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	595
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	91
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	597
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	597
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	473
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..........	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1383
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	595
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	91
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	597
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2016

सं. 76-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर भृगु मुनि दास, उत्तम नाविक (एम ई), 05666-एच को बहादुरी के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

भृगु मुनि दास, उत्तम नाविक (एम ई), 05666-एच ने 26 जनवरी, 2007 को भारतीय तटरक्षक में सेवा शुरू की। इन्होंने 10 अक्तूबर, 2013 को 841 स्क्वाड्रन (त.र.), दमन में वायु कर्मी गोताखोर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

2. 24 जून, 2015 को, भृगु मुनि दास को, एम वी कोस्टल प्राईड के कर्मियों की खोज एवं बचाव मिशन के लिए मुक्त गोताखोर के रूप में नामित किया गया। दमन में खराब मौसम और तूफानी हवाओं के बावजूद, वायुयान लगभग 08 बजे पोत एम वी कोस्टल प्राईड, जोकि अपने बायीं ओर के डेक पर रखे कार्गो के साथ लगभग 30 डिग्री तक बायीं ओर खतरनाक ढंग से झुक गया था और जोर से दोलित हो रहा था, के ऊपर पहुँच गया था। उत्तम नाविक ने बड़ी बहादुरी से स्टारबोर्ड ब्रिज विंग पर खड़े होकर सभी 14 कर्मियों के बचाव के लिए तैयारी कर ली।

3. भृगु मुनि दास, उत्तम नाविक तुरंत ही नीचे उतरा तथा उसने एक-एक करके तीन उत्तरजीवियों की सहायता की। जैसे ही वायुयान नजदीकी सुरक्षित अवतरण स्थल पर उत्तरजीवियों को उतारने के लिए बढ़ा, उत्तम नाविक ने अपनी हाजिर बुद्धि का प्रयोग करते हुए, पोत की जीवन रक्षी चाटी को तुरंत ही नीचे उतार दिया, ताकि पोत के कर्मी किसी संभावित घटना की स्थिति में, जीवन-रक्षी चाटी पर सुरक्षित रूप से चढ़ सकें। वायुयान की वापसी पर, उत्तम नाविक ने अन्य तीन उत्तरजीवियों की वायुयान में चढ़ने में सहायता की। पोत किसी भी क्षण पलट सकता है, यह महसूस करते हुए, उत्तम नाविक ने, पोत के कर्मियों को पानी में कूदने और जीवन रक्षी जेकैटों की सहायता से एक साथ जुडे रहने का निदेश दिया। इन्होंने सुनिश्चित किया कि पोत के शेष कर्मियों ने सुरक्षित रूप से पोत त्याग दिया है तथा यह महसूस करते हुए कि पोत किसी जोरदार लहर के प्रहार से बायीं दिशा कि ओर पलट जाएगा, उत्तम नाविक ने जैमिनी नौका के नियंत्रण को बनाये रखा, तत्पश्चात वह जल धारा के साथ जूझ रहे उत्तरजीवियों की ओर बढ़ा तथा उनको उमरगाँव तट पर सुरक्षित रूप से उतारने के लिए, उन्हें हेलिकॉप्टर पर सुरक्षित चढ़ाया।

4. भृगु मुनि दास, उत्तम नाविक ने अनुकरणीय बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा तथा प्रतिकूल मौसम में निर्णायकता को प्रदर्शित किया एवं अपनी स्वयं की सुरक्षा की परवाह किए बिना, खतरनाक परिस्थिति में बहुमूल्य 14 जीवन का, बचाव किया।

5. भृगु मुनि दास, उत्तम नाविक (एम ई), 05666-एच ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(ii) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 5 के अधीन राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 77-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक का बार पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

महानिरीक्षक सत्य प्रकाश शर्मा, पीटीएम, टीएम (0023-सी)

2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 78-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर उपमहानिरीक्षक राजेश मकवाना, तटरक्षक पदक (0230-वी) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) का बार सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

उपमहानिरीक्षक राजेश मकवाना, तटरक्षक पदक (0230-वी) ने 22 जनवरी, 1989 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की। अफसर को, 31 जुलाई, 2014 को भारतीय तटरक्षक पोत संग्राम का कमान अफसर नियुक्त किया गया।

2. 19 अप्रैल, 2015 को, भारतीय तटरक्षक पोत संग्राम पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर अवरोध गश्त कर रहा था। आसूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पोत एकदम हरकत में आया और पोत ने गहन खोज शुरू कर दी। 20 अप्रैल, 2015 को लगभग 0310 बजे, पोत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अंधेरा किए हुए एक संदिग्ध पोत को ढूंढ लिया। संदिग्ध नौका के दिखाई देने पर, जोकि एक आतंकी नौका हो सकती है, खतरे की संभावना अपरिमित रूप से बढ़ गयी थी।

3. कमान अफसर के रूप में, उपमहानिरीक्षक राजेश मकवाना ने पोत का छिपाव करते हुए संचालन किया तथा सभी हथियारों को तैयार करने के साथ पोत को नौका के पीछे की ओर तैनात किया। इस प्रकार अफसर ने नौकौशल से पोत को दो केबल की दूरी पर रखा तथा लगभग 0430 बजे अन्य हथियारों का प्रयोग न करते हुए, नौका की सही पहचान के लिए रोशनी बम से फायर किया। अफसर ने कर्मठता से पोत को सुरक्षित दूरी पर रखा ताकि नौका से किसी जवाबी फायर से पर्याप्त सुरक्षा की जा सके। अफसर ने दिन की पहली रोशनी में संदिग्ध नौका पर चढ़ने का निर्णय लिया। बोर्डिंग पार्टी को, मौजूदा परिस्थितियों में शामिल जोखिम को देखते हुए प्रत्येक मिनट के ब्योरे के साथ, सही तरह से निर्देश दिए गए थे। बोर्डिंग पार्टी को तुरंत, दिन की पहली रोशनी में, नौका का अंतर्रोधन करने के लिए भेजा गया।

4. बोर्डिंग पार्टी ने नौका के कर्मियों को, जो अभियान के दौरान विरोधी प्रतीत हो रहे थे, गिरफ्तार किया। नौका की पूरी तरह तलाशी ली गयी, जिसमें 600 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोईन के 232 पैकेट बरामद हुए। तत्पर और सफल अभियान की पूरे विश्व में प्रंशसा की गयी।

5. उपमहानिरीक्षक राजेश मकवाना, तटरक्षक पदक (0230-वी) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) का बार प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 79-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस 2016 के अवसर पर कमांडेंट (क.श्रे.) किरन सूर्यकांत सारंग (4123-एस) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

कमांडेंट (क.श्रे.) किरन सूर्यकांत सारंग (4123-एस) ने 11 जनवरी, 2003 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की तथा वे 09 अप्रैल, 2015 से 744 स्क्वाड्रन (त.र.) की नफ़री में हैं।

2. लापता तटरक्षक डोर्नियर 791 का पता लगाने के लिए 08 जून, 2015 को "ऑपरेशन तलाश" शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक से पोतों, वायुयानों और पनडुब्बियों में लापता वायुयान के लिए विस्तृत क्षेत्र में खोजबीन की गयी तथा उपलब्ध सभी संसाधनों को दिशानिर्देशित किया गया, किंतु कोई परिणाम नहीं मिला। 07 जुलाई, 2015 को, मैसर्स रिलायंस से एमवी ओलम्पिक कैनयोन को सुदूर संचालित वाहनों (आरओवी) की सहायता से समुद्र तल मैपिंग के लिए परिनियोजित किया गया था।

3. डोर्नियर वायुयान के बारे में अपनी विशेषज्ञता एवं जानकारी देने तथा वायुयान के मलबे की पहचान में सहायता हेतु अफसर, एम वी ओलम्पिक कैनयोन पर, खोज में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आये। खोजी पोत पर दल के एक अंश के रूप में, विभिन्न सूचनाओं के आधार पर तथा अपने अनुभवों से अफसर ने एक ऐसे क्षेत्र, जिसमें अत्यधिक ध्यान देना अपेक्षित था, को ढूंढने में अपरिमित योगदान दिया।

4. अफसर और इनके दल द्वारा किए गये सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप, 10 जुलाई, 2015 को तटरक्षक डोर्नियर का मलबा दिखाई दिया। अफसर ने मलबे की पहचान के लिए सोनार इनवुटों के आधार पर अथक प्रयास से एक योजना की रूपरेखा तैयार की, जिसे आरओवी दल के समन्वय से व्यापक क्षेत्र में, अर्थात् फ्लाइट डेटा रिकार्डर, कॉकपिट वॉयस रिकार्डर (एमआरयू) तथा शेष सभी लोगों को, प्रसारित किया गया था । अफसर की दृढ़ता, धैर्य और सर्वोपरि मलबे का निस्तारण करने की इच्छा के परिणामस्वरूप मानव अवशेषों, ताकि उनकी दुर्घटना के उपरांत की जांच की जा सके, के साथ वायुयान के मलबे को बरामद किया जा सका।

5. इनकी प्रतिबद्धता, तकनीकी जानकारी और नेतृत्व योग्यता से न केवल एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार हुआ बल्कि एक ऐसे परिवेश का निर्माण हुआ जो वायुयान के मलबे को ढूंढने के लिए आवश्यक था।

6. कमांडेंट (क.श्रे.) किरन सूर्यकांत सारंग (4123-एस) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्त्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 80-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर सहायक कमांडेंट अनित कुमार मिश्रा (1186-एस) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

सहायक कमांडेंट अनित कुमार मिश्रा (1186-एस) ने 20 जून, 2013 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की तथा अफसर वर्तमान में भारतीय तटरक्षक पोत विश्वस्त में नियुक्त है।

2. 01 दिसंबर 2015 को सदी की सबसे भीष्ण बरसात ने चेन्नई की जीवन-व्यवस्था ठप कर दी थी । लाखों लोग बेघर हो गये थे, रोड, रिहायशी परिसर और झुग्गी-झोपड़ियां, कई फुट पानी में, कीचड़ और मलबे से भर गयी थी, यह स्थिति शहर के जलाशयों से 30,000 क्यूसेक/ मिनट पानी छोड़ने से और अधिक बदतर हो गयी थी। बिजली की अनुपलब्धता से और परेशानी बढ़ गयी थी। अन्यत्र शांत रहने वाली अड्यार और कूवम नदियां, काल बन गयी थी तथा उन्होंने बड़े पैमाने पर विनाश कर दिया था।

3. यद्यपि, क्षेत्रीय मुख्यालय (पूर्व) और यूनिटें बचाव और राहत प्रयासों में लगी हुई थी, फिर भी चार भर्ती कार्मिकों के साथ सहायक कमांडेंट अनित मिश्रा के नेतृत्व में 01 दिसंबर, 2015 की रात को एक द्रुत अनुक्रिया दल का गठन किया गया तथा उसे तुरंत सैदापेट और कोट्टूपुरम रवाना किया गया 02 दिसंबर, 2015 की संकटपूर्व रात्रि के दौरान बचाव अभियान के समय, सहायक कमांडेंट अनित मिश्रा की कभी हार न मानने वाली अभिवृत्ति की बदौलत, चमत्कारिक परिणाम सामने आये। रात के अंधेरे, अभूतपूर्व बारिश, सशक्त जलप्रवाह के साथ दलदलपूर्ण पानी और पूरे शहर में फैले कोलाहल ने अफसर के उत्साह को

विचलित नहीं किया। अफसर ने एक बड़े स्तर का बचाव अभियान चलाया और उसमें 250 ऐसे लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिनका सहायता न मिलने की स्थिति में संभवता बचना मुश्किल था । पूरे अभियान के दौरान, अफसर ने स्थानीय जनता की हडबड़ी, डर, भगदड़, गुस्से और हताशा के बीच दो रातों सहित 30 घंटों से अधिक अथक रूप से कार्य किया।

4. अफसर के नेतृत्व में दल द्वारा किए गये असाधारण अभियान के परिणामस्वरूप 250 लोगों का जीवन बचाया जा सका, जो लोग अभी तक भारतीय तटरक्षक के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहें है।

5. सहायक कमांडेंट अनित कुमार मिश्रा (1186-एस) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 81-प्रेज/2016 - राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर सहायक कमांडेंट अमित कुमार चौधरी (1209-वी) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

सहायक कमांडेंट अमित कुमार चौधरी (1209-वी) ने 23 जून, 2013 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. 03 भर्ती कर्मिकों के एक दल के साथ अफसर को डिफेंस कॉलोनी, जोकि चेन्नई में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक था, से संकटग्रस्त लोगों की निकासी करने का कार्य सौंपा गया। इनके नेतृत्व में बचाव दल, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की कठिनाईयों से गुजरते हुए 01 दिसंबर, 2015 को लगभग 1600 बजे घटना स्थल पर पहुंचा। बचाव दल ने इस क्षेत्र में एक योजनाबद्व तरीके से क्षेत्र में फैली तीन गलियों में से, विशेषकर ऐसे घरों की तरफ जहां पर क्षेत्र के निवासियों को आसन्न खतरा था, क्षेत्र में प्रवेश किया।

3. अफसर ने यह सुनिश्चित किया कि शेष घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए तथा उनकी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों तक पहुँचने में सहायता की ताकि उनके जीवन को न्यूनतम खतरा रहे। केवल दो वर्षो की वरिष्ठता के साथ एकमात्र अफसर के रूप में, अफसर ने एक घर में सेवानिवृत्त ले. कर्नल और उसकी पत्नी का शव मिलने पर, उल्लेखनीय साहस और धैर्य को प्रदर्शित किया। अफसर ने उपलब्ध सभी संसाधनों को तुरंत संघटित किया और सैन्य कार्मिकों, जो नजदीक के क्षेत्र में बचाव अभियान क्रियान्वित कर रहे थे, के सहयोग से मृत शवों की निकासी को सुनिश्चित किया। एक अज्ञात क्षेत्र में संक्रिया कर रहे सहायक कमांडेंट अमित कुमार चौधरी ने यह भी सुनिश्चित किया कि बचाव एवं राहत अभियान निष्पादित करने के दौरान अपने आदमियों और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ जेमिनी क्रॉफ्ट का इस प्रकार अत्यंत सावधानी और ध्यान से संचालन किया जाए, जिससे कि उसमें कहीं छेद न हो जाए। अफसर के नेतृत्व में दल ने निवासियों, विशेषकर वृद्धों और कमजोर व्यक्तियों, जिनकी निकासी किया जाना जरूरी था, का बचाव किया। सहायक कमांडेंट अमित कुमार चौधरी के अधीन दल द्वारा किए गए सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप समनुदेशित क्षेत्र में बचाव एवं राहत प्रयास सफलतापूर्वक पराकाष्ठा पर पहुंच सके। अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपने जवानों का नेतृत्व करने के दौरान, अफसर द्वारा प्रदर्शित जोश, प्रेरणाशक्ति और अनुकरणीय उत्साह, वस्तुतः अन्य युवा अफसरों में प्रतिस्पर्धा भावना प्रेरित करने योग्य है।

4. अत्यंत कठिन परिस्थितियों में इस युवा और ओजस्वी अफसर ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना इस चुनौतीपूर्ण कार्य को निष्पादित करने के लिए असाधारण साहस और इच्छाशक्ति को प्रदर्शित किया है, जो इनके कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्प को इंगित करता है।

5. सहायक कमांडेंट अमित कुमार चौधरी (1209-वी) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 82-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर अमलेन्दु धर, प्रधान सहायक इंजीनियर (ए ई), 07496-क्यू को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

अमलेन्दु धर, प्रधान सहायक इंजीनियर (ए ई), 07496-क्यू ने 07 सितंबर, 1995 को भारतीय तटरक्षक मे सेवा आरंभ की तथा कार्मिक 06 मई, 2012 से 744 स्क्वाड्रन (त.र.) में तैनात है।

2. 08 जून, 2015 से लापता तटरक्षक डोर्नियर 791 का पता लगाने के लिए खोज एवं बचाव अभियान "ऑपरेशन तलाश" शुरू किया गया। खोज में भारतीय नौसेना और तटरक्षक से पोत, वायुयान और पनडुब्बियां शामिल हुई थी। 07 जुलाई, 2015 को दूरस्थ संचालित वाहनों (आरओवी) की सहायता से समुद्र तल मैपिंग के लिए एम वी ओलम्पिक कैनयोन को परिनियोजित किया गया।

3. वायु इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ के रूप में, प्रधान सहायक इंजीनियर को, पूर्व में लापता हुए वायुयान की खोज एवं बचाव के लिए, तटरक्षक के प्रतिनिधि के रूप में 19 जून, 2015 से 23 जून, 2015 तक तथा बाद में 09 जुलाई, 2015 से 14 जुलाई, 2015 तक पोत एम वी ओलम्पिक कैनयोन पर तैनात किया गया। इनके कार्यभार में सतत् रूप से मॉनीटर करना तथा वायुयान के मलबे की पहचान करना और मानव अवशेषों सहित संपूर्ण निस्तारण अभियान को पूर्ण करना शामिल था।

4. इनके द्वारा दृढ़ प्रयासों ने, 10 जुलाई, 2015 से 14 जुलाई, 2015 के दौरान वायुयान के मलबे एवं मानव अवशेषों के दिखाई देने और तत्पश्चात उनको संरक्षित करने तथा इस संबंध में तटरक्षक प्राधिकारियों को सूचित करने में निश्चित रूप से योगदान दिया। यह प्रक्रिया एक सतत् प्रयास था और अधीनस्थ अधिकारी ने महत्वपूर्ण अंगूभूतों अर्थात् फ्लाईट डेटा रिकार्डर, कॉकपिट वॉयस रिकार्डर (एमआरयू), आदि और मानव अवशेषों की पहचान करने की जिम्मेदारी को समर्पित भाव से निष्पादित किया।

5. कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति निर्विवाद निष्ठा और सतत् गहन मॉनीटरिंग द्वारा मलबे को ढूंढने की समर्पित प्रतिबद्धता तथा अत्यधिक दवाब का सामना करने का सामर्थ्य और डैक एवं आरओवी तंत्र का प्रचालन कर रहे कार्मिकों को प्रेरित करने की उत्कृष्ट नेतृत्व योग्यता तथा असंभव कार्य को निष्पादित करना, सराहनीय है।

6. अमलेन्दु धर, प्रधान सहायक इंजीनियर (एई), 07496-क्यू ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 83-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर विपिन गुलिया, उत्तम यांत्रिक (पोतकार), 08523-डब्ल्यू को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

विपिन गुलिया, उत्तम यांत्रिक (पोतकार), 08523-डब्ल्यू ने 24 जनवरी, 2012 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की और वे वर्तमान में भारतीय तटरक्षक पोत विश्वस्त पर तैनात हैं।

2. चेन्नई में, हाल ही में आयी बाढ़ के दौरान, भर्ती कर्मिक ने कर्तव्य की सीमा से परे जाकर अपनी क्षमता को सिद्ध किया और अपनी निजी सुरक्षा एवं आराम की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों का जीवन बचाया। 01 दिसंबर, 2015 को चेन्नई शहर अड्यार एवं कूवम नदी में आये उफान से बाढ़ग्रस्त हो गया था तथा नजदीकी रिहायशी और झुग्गी-झोपड़ी के क्षेत्र पानी में डूब गये थे। चेम्बरामबक्कम झील से अत्यधिक पानी छोड़ने तथा अभूतपूर्व बारिश के कारण भीषण बाढ़, बिजली गुल, परिवहन व्यवस्था ठप हो गयी एवं खाद्य आपूर्ति बंद हो गयी थी, लाखों लोग पूर्ण तथा/आंशिक रूप से जलमग्न इमारतों में असहाय हो गये थे। शारीरिक रूप से स्वस्थ, पोत के गोताखोर के नाते विपिन गुलिया, उत्तम यांत्रिक, बचाव/राहत अभियानों और इस प्रकार बचाये गये संकटग्रस्त लोगों की दवाईयां, भोजन और जल उपलब्ध कराने के लिए भारतीय तटरक्षक द्वारा तुरंत गठित किए गए बचाव दल के लिए स्वेच्छा से आगे आये।

3. विपिन गुलिया, उत्तम यांत्रिक ने चुनौती को स्वीकार किया तथा सशक्त धारा एवं बहते पानी में रात्रि के दौरान सैदापेट और कोट्टुपुरम क्षेत्रों की आंशिक रूप से डूबी विभिन्न इमारतों में संकटग्रस्त 250 लोगों की निकासी सुनिश्चित की। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रकृति के प्रकोप का दिलेरी से सामना करते हुए, भर्ती कार्मिक लगातार 30 घंटों के करीब अपने दल के लीडर के साथ डटा रहा। बचाव अभियान के दौरान, भर्ती कार्मिक की दायीं एढ़ी पर, निकासी हेतु प्रयुक्त जेमिनी नौका के प्रणोदक से, 3 इंच लंबा और 5 मिलीमिटर गहरा घाव हो गया था। जख्म से लगातार बहता रक्त और पैर में बढ़ता दर्द भी, भर्ती कार्मिक को, 10-15 फुट पानी में डूबी इमारतो में तैर कर जाने और वहां से एक - एक करके उत्तरजीवियों को सुरक्षित बाहर निकालने के कार्य से रोक नहीं सका।

4. संकटग्रस्त लोगों का जीवन बचाने में विपिन गुलिया का अपरिमित उत्साह, उच्च दर्जे की व्यवसायिकता और कर्तव्यनिष्ठा, सेवा की उच्च परंपराओं के अनुरूप है।

5. विपिन गुलिया, उत्तम यांत्रिक (पोतकार), 08523-डब्ल्यू ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 84-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर प्रदीप कुमार, नाविक (एम ई), 11381-एस को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

प्रदीप कुमार, नाविक (एम ई), 11381-एस ने 27 जनवरी, 2011 को भारतीय तटरक्षक मे सेवा आरंभ की तथा वर्तमान में कार्मिक भारतीय तटरक्षक पोत अनघ पर तैनात है।

2. 02 दिसंबर, 2015 को, जब चेन्नई मे अभूतपूर्व बारिश हुई तथा बाढ़ आ गयी थी तब भर्ती कार्मिक बचाव दल का हिस्सा बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। इन्होंने एक जेमिनी नौका और ओबीएम के साथ, राहत और बचाव अभियान में तमिलनाडु पुलिस के दल की सहायता की। बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने पर, इन्होंने देखा कि बाढ़ का पानी 15 फुट तक पहुंच चुका है । पुलिस कार्मिकों को अभी यह निर्णय करना था कि किस प्रकार फंसे हुए और संकटग्रस्त लोगों तक पहुंचा जाए। क्षेत्र में डूबी कारों और मोटरसाईकिलों के बावजूद, कार्मिक ने बचाव अभियान क्रियान्वित करने के लिए अति उपयोगी स्थान पर युक्तिपूर्वक तरीके से जेमिनी क्रॉफ्ट का नौचालन किया। मौसम की स्थिति अत्यंत खराब थी, क्योकि लगातार बारिश हो रही थी और निरंतर बढ़ते जलस्तर से प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण था तथा कार्मिकों की उत्तरजीविता के अवसर क्षीण हो रहे थे। एक असाधारण तैराक और प्रेरक गोताखोर के नाते कार्मिक, अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना तुरंत ही पानी में कूद गया, फलस्वरूप बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सका, इन लोगों को मूलतः कार्मिक के कंधों का सहारा देकर लाया गया।

3. नाविक ने सशक्त जलधारा, अनेक सरीसृपों, बाधाओं, बिजली के तारों मलबे आदि के बीच 200 से अधिक जीवन का बचाव किया, इन लोगों में वरिष्ठ नागरिक, गर्भावस्था वाली महिलायें, अपंग बच्चें और शिशु शामिल हैं। कार्मिक ने उच्च दर्जे के उत्साह और प्रतिबद्धता की भावना को प्रदर्शित किया। छह घंटों से अधिक समय तक लगातार अभियान करने के उपरांत, दल अपने नये अभियान को शुरू करने के लिए वेदापलानी में अन्य स्थानों की ओर रवाना हुआ। कार्मिक के प्रयास और निस्वार्थ सेवा अगले दिन 03 दिसंबर, 2015 को भी जारी रही, जब इन्हें जेम्स एशरे, को अंतरित किया गया, जहां इन्होंने और भी खराब परिस्थिति का सामना किया। कार्मिक ने एक बार फिर चार ब्लॉकों से 240 लोगों की निकासी को सुनिश्चित किया। भर्ती कार्मिक ने जाफरखानपेट, के के नगर, गंगा नगर जैसे क्षेत्रों में, जिसकी स्थिति बहुत खराब थी और जिसकी तटरक्षक की किसी यूनिट या दल को कोई सूचना नहीं दी गयी थी, अपना बचाव अभियान जारी रखा। बहादुरी के इस कार्य को करने में कार्मिक द्वारा प्रदर्शित अत्यंत उत्साह, प्रतिबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा की पुलिस दल तथा स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की है।

4. प्रदीप कुमार, नाविक (एमई) 11381-एस ने चेन्नई में बाढ़ राहत अभियानों के दौरान तनावपूर्ण एवं थकाऊ परिस्थितियों में अदम्य साहस, निर्भीक प्रतिरोध की भावना और बहादुरी के कृत्य को प्रदर्शित किया है।

5. प्रदीप कुमार, नाविक (एमई), 11381-एस ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 85-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं-

(i) उपमहानिरीक्षक राजन बड़गोत्रा (0116-एम)

(ii) कमांडेंट देवांश रमेशचन्द्र त्रिवेदी (0329-वी)

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

दिनांक 18 मई 2016

सं. 86—प्रेज/2016—भारत के राजपत्र के भाग—I, खण्ड—1 में दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित इस सचिवालय की विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 15 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या 110—प्रेज/2015 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :——

क्रम संख्या 73 में

श्री नरेन्द्र नाथ धर दुबे, पुलिस अधीक्षक, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो — के स्थान पर

श्री नरेन्द्र नाथ धर दुबे, पुलिस अधीक्षक, नई दिल्ली, राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी — पढ़ा जाए।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 87—प्रेज/2016—भारत के राजपत्र के भाग—I, खण्ड—1 में दिनांक 25 जुलाई, 2015 को प्रकाशित इस सचिवालय की सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 26 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 42—प्रेज/2015 के अँग्रेजी रूपांतरण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम संख्या 284 में

श्री पी. केनेड — के स्थान पर

श्री पी. केनेडी — पढ़ा जाए।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 88—प्रेज/2016—भारत के राजपत्र के भाग—I, खण्ड—1 में दिनांक 25 जुलाई, 2015 को प्रकाशित इस सचिवालय की सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 26 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 42—प्रेज/2015 के हिन्दी रूपांतरण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम संख्या 630 में

श्री अविनाश — के स्थान पर

श्री अवनीश — पढ़ा जाए।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2016

संकल्प

सं. 5(1)—बी(पी.डी.)/2016—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2016—17 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2016 तक 8.1% (आठ दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अप्रैल, 2016 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एच. के. श्रीवास्तव
निदेशक (बजट)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2016

No. 76-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the President's Tatrakshak Medal for Gallantry to Bhrigo Muni Das, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05666-H.

CITATION

Bhrigo Muni Das, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05666-H joined Indian Coast Guard on 26 January 2007. He joined 841 SQN (CG) Daman as Aircrew Men Diver on 10 October 2013.

2. On 24 June 2015, Bhrigo Muni Das, Uttam Navik was nominated as the free diver for a SAR mission for MV Coastal Pride's crew. Despite the squally weather over Daman and tempestuous winds, as the aircraft reached over MV Coastal Pride at 0800 hours which had dangerously listed to port by about 30 degrees with her port cargo deck awash and rolling heavily, the Uttam Navik braved all odds to prepare for the rescue of all 14 crew members, standing on the starboard bridge wing.

3. Bhrigo Muni Das, Uttam Navik immediately was winched down and quickly helped three survivors, one after the other. As the aircraft proceeded to nearby safe landing area for dropping survivors, the Uttam Navik using his presence of mind, quickly lowered the ship's life-raft so that in case of any eventuality the ship's crew could be safely boarded on the life-raft. On the aircraft's return, the Uttam Navik helped another 03 survivors to get winched up. Sensing that the ship could topple at any moment, he instructed the crew to jump into water and stay together with the help of toggles of the life jackets. He ensured that the remaining crew had safely abandoned the ship and sensing a strong swell which would topple the ship towards the port side, he managed to get hold of the floating Gemini boat. He then rowed towards the survivors fighting the currents and winds to winch the survivors safely upon to the Helicopter, to be landed safely at Umargaon beach.

4. BM Das, U/Nvk has displayed exemplary bravery, devotion to duty and decisiveness in adverse weather & toppled ship, which resulted in saving 14 precious lives at sea in such bleak conditions jeopardizing his own safety.

5. Bhrigo Muni Das, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05666-H has accredited himself well and therefore he is awarded the President's Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The President's Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 4(ii) of the rules governing grant of President's Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 5 in respect of Coast Guard personnel who have received the President's Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 77-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Bar to President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the undermentioned officer:-

Inspector General Satya Prakash Sharma, PTM, TM (0023-C)

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 78-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Bar to Tatrakshak Medal for Gallantry to Deputy Inspector General Rajesh Makwana, Tatrakshak Medal (0230-V).

CITATION

Deputy Inspector General (DIG) Rajesh Makwana, Tatrakshak Medal (0230-V) joined Indian Coast Guard on 22 January 1989. The officer has been appointed as Commanding Officer onboard Indian Coast Guard Ship (ICGS) Sangram, on 31 July 2014.

2. On 19 April 2015, ICGS Sangram was maintaining barrier patrol at International Maritime Boundary Line (IMBL) with Pakistan. On receipt of an Intelligence input, the ship swung into action and started an extensive search. At about 0310 hours on 20 April 2015, the ship located an unlit and suspicious vessel in international waters. Sighting of a suspicious boat which could have been a terrorist boat increased the risk factor immeasurably.

3. As Commanding Officer, DIG Rajesh Makwana maneuvered the ship stealthily and positioned it astern of the boat with all weapons closed up. Being a dark night the identification of boat was challenging. Thus the officer manoeuvred the ship to about two cables distance and co-ordinated an illumination bomb firing at about 0430 hours with weapons zeroed in, for positive identification. The officer diligently maintained the ship at safe distance so as to have adequate cover from a possible retaliatory fire and decided to board the suspected boat with first light. The boarding party was well briefed to every minute details view the risk involved in given circumstances. With the first light, the boarding party was swiftly launched to interdict the boat.

4. The boarding party apprehended the boat crew which appeared hostile during the operation. The boat was thoroughly rummaged which lead to recovery of 232 packets of heroin worth ₹600 Crores. The swift and successful operation has been widely acclaimed all over the world.

5. Deputy Inspector General Rajesh Makwana, Tatrakshak Medal (0230-V) has accredited himself well and therefore he is awarded the Bar to Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 79-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant (Junior Grade) Kiran Suryakanth Sarang (4123-S).

CITATION

Commandant (Junior Grade) Kiran Suryakanth Sarang (4123-S) joined Indian Coast Guard on 11 January 2003 and is borne with 744 SQN(CG) since 09 April 2015.

2. "OPS Talash" was launched on 08 June 2015 to locate the missing CG Dornier 791. Ships, aircraft and submarine from Indian Navy and Coast Guard searched the vast areas for the missing aircraft and all available resources were diverted but it yielded no results. On 07 July 2015, MV Olympic Canyon ex-M/s Reliance was deployed for sea bed mapping with the help of ROVs.

3. The officer volunteered to join the search onboard MV Olympic Canyon for rendering his expertise and knowledge of Dornier aircraft and assist in identification of wreckage debris. As a part of the team onboard, based on various inputs and his experiences the officer contributed immensely in localising an area where maximum concentration was required.

4. The persistent efforts put in by the officer and his team resulted in sighting of the CG Dornier debris on 10 July 2015. The officer meticulously designed a plan based on the Sonar inputs to identify the debris which was spread over a vast area viz. Flight Data Recorder, Cockpit Voice Recorder (MRU) and human remains, in coordination with ROV team. The perseverance, grit and above all the desire to salvage the debris resulted in recovery of debris along with human remains which enabled the investigation post-accident.

5. His commitment, technical knowhow and leadership abilities not only infused a new hope and enthusiasm but also created an environment which was essential to locate debris.

6. Commandant (Junior Grade) Kiran Suryakanth Sarang (4123-S) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 80-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Assistant Commandant Anit Kumar Mishra (1186-S).

CITATION

Assistant Commandant Anit Kumar Mishra (1186-S) joined Indian Coast Guard on 20 June 2013 and is presently posted on ICGS Vishwast.

2. Unprecedented rain, the heaviest in a century brought Chennai to a standstill on 01 December 2015. Millions were left on the streets, roads, residential complexes and slums inundated under several feet of water, muck and debris, which was further aggravated by the sudden release of 30,000 cusec/min of water from the city reservoirs. Non availability of power added to the confusion. The otherwise calm Adyar and Coovum rivers, brought in death and destruction on a mega scale.

3. Whilst the Regional Headquarters(East) and the units were involved in rescue and relief efforts, a rapid reaction team was constituted on the night of 01 December 2015 led by Asst Comdt Anit Mishra along with four other EPs and were dispatched immediately to Saidapet and Kotturpuram. The never say die attitude of Asst Comdt Anit Kumar Mishra brought miraculous results, while carrying out rescue operations during the perilous night of 02 December 2015. The darkness of the night, unprecedented rains, mucky waters with strong currents and pandemonium all across the city did not diminish the spirit of the officer. The officer led a massive rescue mission and was successful in evacuating 250 personnel, who probably wouldn't have survived in the absence of the help. During the entire operation, the officer worked relentlessly for over 30 hours including 2 nights amidst confusion, fear, panic, fraying tempers and desperation amongst the local populace.

4. The extraordinary operation undertaken by the team led by the officer, resulted in saving 250 innocent lives, who till date have expressed their sincerest gratitude to the Indian Coast Guard.

5. Assistant Commandant Anit Kumar Mishra (1186-S) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 81-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Assistant Commandant Amit Kumar Choudhary (1209-V).

CITATION

Assistant Commandant Amit Kumar Choudhary (1209-V) joined Indian Coast Guard on 23 June 2013.

2. The officer with a team of 03 EPs was tasked to evacuate the marooned people from Defence Colony, which was one of the worst affected areas by floods in Chennai. The rescue team under his leadership reached the scene at about 1600 hours on 01 December 2015 wading through flooded areas. The rescue team entered the area spread across three different streets in a planned manner, particularly houses where the water level posed immediate danger to residents of the area.

3. The officer ensured that people still trapped in the remaining houses were safe and helped them move to the upper floors of the building, minimising risk to their lives. As an officer with only two years of seniority, the officer displayed remarkable courage and grit when he encountered two dead bodies of a Retired Lt. Col. and his spouse in one of the houses. The officer quickly mobilised resources at his disposal and ensured that the dead bodies were evacuated, in coordination with Army personnel, who were also undertaking rescue operation in the adjacent area. Asstt Comdt Amit Kumar Choudhary, operating in an unknown territory also ensured that while undertaking rescue and relief operation, the Gemini craft was manoeuvred with utmost care and caution for fear of getting punctured whilst ensuring safety of his men and material. The team lead by the officer rescued the residents, especially the old and the infirm, who needed to be evacuated. The sustained efforts put in by the team under Asstt Comdt Amit Kumar Choudhary resulted in successful culmination of the rescue and relief efforts in the assigned area. The zeal, drive and exemplary courage exhibited by the officer, while leading his men in the most challenging situation is indeed worthy of emulation by the other young officers.

4. The extraordinary courage and will to undertake challenging tasks with utter disregard to his personal safety this young and dynamic officer, under the most demanding circumstances are indicative of his unflinching resolve towards his duties.

5. Assistant Commandant Amit Kumar Choudhary (1209-V) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 82-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Amalendu Dhar, Pradhan Sahayak Engineer (Air Engineer), 07496-Q.

CITATION

Amalendu Dhar, Pradhan Sahayak Engineer (Air Engineer), 07496-Q joined Indian Coast Guard on 07 September 1995 and posted to 744 SQN(CG) since 06 May 2012.

2. SAR operations "Ops Talash" was launched to locate CG Dornier 791 which was missing since 08 June 2015. Ships, aircrafts and submarine from Indian Navy and Coast Guard were involved in the search. On 07 July 2015, MV Olympic Canyon was deployed for sea bed mapping with the help of ROVs.

3. The Pradhan Sahayak Engineer, as specialist in Air engineering, was tasked as CG representative onboard MV Olympic Canyon for SAR of the missing aircraft earlier on 19 June 2015 to 23 June 2015 and then on 09 July 2015 to 14 July 2015. His task was to continuously monitor and identify the aircraft's debris as well as complete the entire salvage operation which included human remains.

4. The concerted efforts put in by him has positively contributed in sighting of aircraft debris and human remains on 10 July 2015 onwards to 14 July 2015 and thereafter preserve them and communicate the same to Coast Guard authorities. The process was a continuous effort and he dedicatedly took responsibility to identify the important components viz: Flight Data Recorder, Cockpit Voice Recorder (MRU), etc and human remains.

5. For unquestionable devotion towards duty and responsibility and ability to withstand extreme pressure and dedicated commitment to find the debris by continuous close monitoring and outstanding leadership abilities to motivate the deck and ROV system operating personnel and achieving an impossible task is commendable.

6. Amalendu Dhar, Pradhan Sahayak Engineer (Air Engineer), 07496-Q has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 83-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Vipin Gulia, Uttam Yantrik (Ship Wright), 08523-W.

CITATION

Vipin Gulia, Uttam Yantrik (Ship Wright), 08523-W joined Indian Coast Guard on 24 January 2012 and is presently posted onboard ICGS Vishwast.

2. During the recent floods in Chennai, the EP has proved to his mettle, beyond the call of duty and saved hundreds of lives, without concern for personal safety or comfort. On 01 December 2015 the city of Chennai was flooded with swell of rivers, Adyar and Coovum and had inundated the nearby residential and slums areas. The release of storm water from Chembarambakkam lake and unprecedented rains caused heavy flooding, shutting down power, disruption of transport and food supply leaving, millions of people stranded in completely / partly submerged buildings. Vipin Gulia, U/Ytk being a ship's diver as well as physically fit, volunteered for the rescue team formed by ICG immediately for rescue / relief operations and thus evacuated stranded populace by providing medicine, food and water.

3. Vipin Gulia, U/Ytk took up the challenge and ensured evacuation of 250 people stranded in various partially submerged buildings in Saidapet and Kotturpuram areas in the darkness of the night, with strong currents and flowing water. The EP remained by the side of his team leader for almost 30 straight hours, braving the nature's fury in the most adverse circumstances. During the rescue operation, the EP suffered a 3 inch long and 5 mm deep cut on his right heel caused by propeller of gemini boat being used for evacuation. Neither the profusely bleeding wound nor the lingering pain in the leg stopped the EP from swimming out to buildings submerged in 10-15 feet of water and pulling out survivors one after another to safety.

4. Vipin Gulia's unfathomed courage, highest standards of professionalism and devotion to duty in saving lives in distress is in keeping with the highest traditions of service.

5. Vipin Gulia, Uttam Yantrik (Ship Wright), 08523-W has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 84-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Pradeep Kumar, Navik (Mechanical Engineer), 11381-S.

CITATION

Pradeep Kumar, Navik (Mechanical Engineer), 11381-S joined Indian Coast Guard on 27 January 2011 and presently borne onboard ICGS Anagh.

2. On 02 December 2015, when Chennai was struck by unprecedented rains and floods, the EP volunteered to be part of rescue team. He along with a Gemini boat and OBM, assisted the Tamil Nadu police team in relief and rescue operation. On reaching the severely affected area, they witnessed dangerous situation with water flooded up to 15 feet. The police personnel were yet to decide, as to how to reach the trapped and distressed people. Despite there being submerged cars and bikes, he tactfully navigated the Gemini craft to a most suitable location in order to carry out rescue operations. Weather condition was worsening, as heavy down pour continued and water level was continuously increasing making every minute critical and chances of survival of personnel were diminishing. He being an exceptional swimmer and aspiring diver, without regard to his own safety instantly jumped into water, thereby saving the lives of numerous people, who were literally carried by him on his shoulders.

3. The sailor was successful in saving over 200 lives, including senior citizens, pregnant ladies, disabled children and infants, against strong currents and numerous reptiles, obstructions, electrical wires, debris etc. He displayed high degree of courage and sense of commitment. After continuing operations for over six hours, the team moved towards other locations at Vadapalani to start their next operation. His effort and selfless service continued for the next day 03 December 2015, when they shifted to James Ashrey, wherein they encountered a situation worse than on second. He once again ensured evacuation of 240 people from four blocks. The EP continued his rescue mission at areas like Jafferkhanpet, KK Nagar, Ganga Nagar, which were known to be worst hit areas without any communication with the unit or any other CG team. The display of utmost courage, commitment and dedication to duty, in carrying out this act of bravery earned him many accolades from the police team and civil populace.

4. Pradeep Kumar, Nvk(ME), 11381-S displayed undaunted courage, intrepid fighting spirit, unwavering devotion and act of bravery in stressful and tiring conditions during the flood relief operations at Chennai.

5. Pradeep Kumar, Navik (Mechanical Engineer), 11381-S has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 85-Pres/2016—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2016 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:-

(i) Deputy Inspector General Rajan Bargotra (0116-M)

(ii) Commandant Devansh Rameshchandra Trivedi (0329-V)

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

SURESH YADAV
OSD to the President

The 18th May 2016

No. 86-Pres/2016—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 110-Pres/2015, dated the 15th August, 2015 published in Part I Section 1 of the Gazette of India on the 12th December, 2015 relating to the award of President's Police Medal for Distinguished Service:-

At Sl. No. 73

For – Shri Narender Nath Dhar Dubey, Superintendent of Police, New Delhi, National Investigation Agency

Read - Shri Narendra Nath Dhar Dubey, Superintendent of Police, New Delhi, National Investigation Agency

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 87-Pres/2016—The following amendment is made in the English version of this Secretariat Notification No. 42-Pres/2015, dated the 26th January, 2015 published in Part I Section 1 of the Gazette of India on the 25th July, 2015 relating to the award of Police Medal for Meritorious Service:-

At Sl. No. 284

For – Shri P. Kenned

Read - Shri P. Kennedy

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 88-Pres/2016—The following amendment is made in the Hindi version of this Secretariat Notification No. 42-Pres/2015, dated the 26th January, 2015 published in Part I Section 1 of the Gazette of India on the 25th July, 2015 relating to the award of Police Medal for Meritorious Service:-

At Sl. No. 630

For – Shri Awinash

Read - Shri Awanish

SURESH YADAV
OSD to the President

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 2nd June 2016

RESOLUTION

No. 5(1)-B(PD)/2016—It is announced for general information that during the year 2016-17, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8.1% (Eight point one per cent) w.e.f. 1st April, 2016 to 30th June, 2016. This rate will be in force w.e.f. 1st April, 2016. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The India Ordinance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordinance Factories Workmen’s Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

H. K. SRIVASTAV
Director (Budget)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in